भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 625
गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय पर्यटन नीति में संशोधन

625 **श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा संशोधित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू करने के तौर-तरीके निर्धारित कर लिये गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और उसमें तेजी लाने के लिए जीएसटी परिषद की तर्ज पर एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद का गठन करने की आवश्यकता है ताकि वह केन्द्र और राज्य सरकारों को सीधे सिफारिशें कर सके;

(ग) पर्यटन क्षेत्र जो एक बहु-आयामी कार्यकलाप है, को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाएं जा रहे है ताकि इससे जुड़े मुद्दों को सरल बनाने में मदद मिल सकें; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में हुए विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का एक मसौदा तैयार किया है । इस नीति का लक्ष्य देश में पर्यटन विकास के लिए रूपरेखा संबंधी शर्तों को बेहतर बनाना, पर्यटन उद्योग की सहायता करना, पर्यटन संबंधी सहायक कार्यों को मजबूती प्रदान करना और पर्यटन के उप-क्षेत्रों का विकास करना है । इस नीति के प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य हैं :-

i. [illegible]

ii. [illegible]

iii. [illegible]

iv. [illegible]

v. [illegible]

नीति में केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) की व्यवस्था की गई है और इसमें देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को संपूर्ण विज़न, दिशानिर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री, संबंधित मंत्रालयों और औद्योगिक हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया ।

यह नीति पर्यटन उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख और बहुआयामी चुनौतियों से निपटने और देश में पर्यटन क्षेत्र का विकास करने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर एक पूरी सरकार के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है ।

*****